न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 144/2024
निर्णय दिनांक :–12.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. तुलसी शर्मा पत्नि हनुमान सहाय जाति बारागांव ब्राहम्ण निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला जयपुर नवसृजित जिला दूदू।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला जयपुर।
2. भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह दत्तक पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनोद कुमार जैन अधिवक्ता प्रार्थी
श्री दिलीप सिंह नरूका अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 118 लैण्ड रेवेन्यू एक्त बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस

निर्णय दिनांक :– 12.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2218 शा. नं. 2219 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी जिला दूदू में स्थित है जो प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि थी, उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 ने 2 बीघा भूमि प्रार्थीया को विक्रय कर दी जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई उसके पश्चात प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 के मध्य आपसी सहमति से उक्त भूमि का विभाजन हो गया तथा उक्त सहमति विभाजन क्रमांक कैम्प 2017/32 दिनांक 01.06.2017 की पालना में नामान्तकरण सं. 2573 खोला गया जिसके तहत खसरा नम्बर 2218 शा.नं. 2219/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा अप्रार्थी सं. 2 की खातेदारी में सहमति विभाजन के तहत दर्ज की गई एवं इसी प्रकार खसरा नम्बर 2218 शा.नं. 2219/1 रकबा 2 बीघा प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज की गई। उपर्युक्त नामान्तकरण सं. 2573 के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 के नाम खातेदारी दर्ज की जानी चाहिये लेकिन सहवन से खसरा नम्बर 2218 शा.नं. 2219/2 की खातेदारी की जगह अप्रार्थी सं. 1 के नाम 2218 शा. नं. 2219/1 की खातेदारी दर्ज कर दी गई जबकि खसरा नम्बर 2218 शा. नं. 2219/1 की खातेदारी आपसी विभाजन से नामान्तकरण सं.

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

2573 के आधार पर प्रार्थीया के नाम दर्ज की जानी चाहिए जो काबिले सहवन से जमाबन्दी में दर्ज होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपर्युक्त अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 2 के नाम खातेदारी दर्ज होने चाहिए लेकिन वर्तमान में दर्ज खातेदारी खाता सं. 800 में प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 2218/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर दर्ज कर दी गई जबकि आपसी सहमति के विभाजन नामान्तकरण सं. 2573 के अनुसार प्रार्थीया के नाम खसरा नम्बर 2218 शा. नं. 2219/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर दर्ज होनी चाहिए जिसके बाबत मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत दुरूस्ती का पेश किया जो प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आदेश किये कि आराजी खाता सं. 800 के खसरा नम्बर 2218/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 2218 शा.नं. 2219/1 रकबा 0.5058 हैक्टेयर तथा खाता सं. 799 के खसरा नम्बर 2218/1 रकबा 0.3161 हैक्टेयर के स्थान पर 2218 शा. नं. 2219/2 रकबा 0.3161 हैक्टेयर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये है। प्रार्थीया के नाम सहवन से खातेदारी दर्ज थी, वह दुरूस्त की जा चुकी है तथा इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान नक्शा ट्रेस में दर्ज 2218/1 की जगह दुरूस्त किया जाकर 2218 शा. नं. 2219/2 का दुरूस्त किया जावें। उपर्युक्त खसरा नम्बरान के बाबत पूर्व में खातेदारी दुरूस्त हो चुकी है लेकिन नक्शा ट्रेस में पूर्व अनुसार ही इन्द्राज होने से पक्षकारान के मध्य विवाद उत्पन्न है तथा नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज रहने से प्रार्थीया सरकारी सुविधा व अन्य कार्य करने से वंचित हो रही है इसलिए उक्त अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। प्रार्थीया उक्त गलत इन्द्राज के दुरूस्ती बाबत अपने समस्त दस्तावेजात अप्रार्थी सं. 01 ने कहा कि उन्हे दुरूस्ती का क्षेत्राधिकारी नही है सक्षम न्यायालय में जाकर चाराजोही करे जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 02 की तरफ से वकील श्री दिलीप सिंह नरूका ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 का जवाब बन्द किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण अन्तर्गत धारा 111, 118 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थन पत्र के मद नं0 3 मे

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–जय

अंकित किया है कि आपसी सहमति से किये गये विभाजन का नामान्तकरण सं0 2573 के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किया गया था। वर्तमान नक्शा ट्रेस मे दर्ज 2218/1 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न. 2219/1 तथा 2218/2 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न. 2219/2 दुरूस्त किया जाना बताया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 — 74 वाके ग्राम चकवाडा के खाता सं0 800 मे प्रार्थीया तथा खाता सं0 799 मे अप्रार्थी सं0 2 रिकार्डेड खातेदार है। पूर्व मे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2024 ख0न0 2218/2 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न 2219/1 तथा ख0न0 2218/1 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न. 2219/2 दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे। उपरोक्त तथ्यो के आलोक मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक आदेश दिनांक 12.09.2024 अनुसार स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चकवाडा तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के ख0न0 2218/1 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न. 2219/1 तथा ख0न0 2218/2 के स्थान पर ख0न0 2218 शा.न. 2219/2 नक्शा ट्रैस मे दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/12/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला—दूदू